संख्या– / XXIX-2 / 2025 / E-89903

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
जल जीवन मिशन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांकः अगस्त, 2025**

विषयः जल जीवन मिशन (JJM) कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिमान कार्यो हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रत्याशा में सुसंगत लेखाशीर्षकों की बचतों में से अग्रिम के रूप में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–I/313421/ XXIX-2/2025/E-22928 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा 90 प्रतिशत केन्द्र पोषित जल जीवन मिशन (JJM) कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिमान कार्यो हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रत्याशा में सुसंगत लेखाशीर्षकों की बचतों में से वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹ 200.00 करोड़ (₹ दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के अनुसार केन्द्रांश के अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गयी हैः–

(धनराशि ₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	श्रेणी	मद	अवमुक्त धनराशि (केन्द्रांश)
01	**02**	**03**	**04**
13	सामान्य	**अनुदान सं0 13, लेखाशीर्षक** 2215–01–102–01–03–14 (SNA)	5.00
13	सामान्य	**अनुदान सं0 13, लेखाशीर्षक** 4215–01–102–01–02–14 (SNA)	170.00
	योग (सामान्य)		**175.00**
30	एस0सी0पी0	**अनुदान सं0 30, लेखाशीर्षक** 4215–01–102–01–01–14 (SNA)	20.00
31	टी0एस0पी0	**अनुदान सं0 31, लेखाशीर्षक** 4215–01–102–01–01–14 (SNA)	5.00
	कुल योग		**200.00**

2– अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4215–01–102–01–01–14–केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4215–01–102–01–01–14–केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण में टोकन मनी उपलब्ध न होने के कारण उक्त मदों में किये गये पुनर्विनियोग को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर संलग्न बी0एम–09 के अनुसार अनुदान सं0 13 के लेखाशीर्षक–4215–01–102–01–02–70 (SNAस्पर्श) से धनराशि ₹ 25.00 करोड़ (₹ पच्चीस करोड़) का पुनर्विनियोग लेखाशीर्षक–4215–01–102–01–02–14 (SNA) में करते हुए केन्द्रांश के अग्रिम के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–I/313421/ XXIX-2/2025/E-22928 दिनांक 11.07.2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/318612/2025 दिनांक 31.07.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीया,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 01-08-2025
17:24:28

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्या– (1)/ XXIX-2/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 04-अगस्त-2025
10:11:09

(डी0एम0एस0 राणा)
संयुक्त सचिव